

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चि.स्वा./गुप-2/2011

जयपुर, दिनांक : 02.01.2011

आ दे श

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.12.2011 के द्वारा निलम्बित किये गये चिकित्सकों में से निम्न चिकित्सकों को तुरन्त प्रभाव से बहाल किया जाता है :-

1. डा. रमन दीपावत, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कैथून, कोटा
2. डा. राजेश मलिक, क. वि. (शिशु), सैटेलाईट होस्पिटल, हिरणमगरी, उदयपुर
3. डा. रोमेल सिंह, चिकित्सा अधिकारी, प्राथ. स्वा. केन्द्र, मंडाभीमसिंह, जयपुर
4. डा. आर. एस. रत्नू, क. वि. (मेडिसिन), सामु. स्वा. केन्द्र, परबतसर, नागौर
5. डा. हरिसिंह जाट, चिकित्सा अधिकारी (दन्त) जिला चिकित्सालय, सीकर
6. डा. नरेन्द्र सिंह शेखावत, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, झुंझुनू
7. डा. बहादुर सिंह मीणा, क. वि. (दन्त) जिला चिकित्सालय, टोंक
8. डा. दिनेश कुमार बैरवा, चिकित्सा अधिकारी, प्राथ. स्वा. केन्द्र, डागरथल, टोंक
9. डा. साधना गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, जनाना अस्पताल, जयपुर
10. डा. जितेन्द्र सारस्वत, क. वि. (चर्म रोग) जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर
11. डा. अशोक आदित्य, चिकित्सा अधिकारी, शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र, चंदोरिया, चित्तौड़गढ़
12. डा. बिरेश बेरीवाल, व. चि. अ., जिला चिकित्सालय, बारां
13. डा. रामलाल फुलफजर, चिकित्सा अधिकारी, यूनीसेफ, संयुक्त निदेशक, उदयपुर
14. डा. मोहम्मद ईकबाल भारती, क. वि. (नेत्र), ई. एस. आई. के अधीन

उक्त चिकित्सक अपने पूर्व पदस्थापन स्थान पर ही कार्यरत रहेंगे।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय
- 2- निजी सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
- 3- निजी सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
- 4- उप सचिव एवं निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय
- 5- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- संबंधित जिला कलेक्टर, राजस्थान
- 10- निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
- 11- संबंधित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल,
- 12- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन
- 13- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
- 14- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
- 15- संबंधित अधिकारी को मार्फत निदेशक, जन स्वास्थ्य
- 16- कम्प्यूटर सेल/निजी /रक्षित पत्रावली

शासन सहायक सचिव